

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2019/25

दिनांक 01/04/2019

—: आदेश :-

निदेशालय के समसख्यक आदेश क्रमांक 67 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया गया था। इन अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रयोजन/कारण अंकित करते हुए कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया था।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.97 के अनुसरण में अधिकतम 06 माह की अभिवृद्धि ही की जा सकती है जो कि इन अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में जारी की जा चुकी है।

फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थियों जिन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी के कार्यग्रहण में अभिवृद्धि के आवेदन पत्रों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	डॉ० महावीर प्रसाद सैनी, चिकित्सा अधिकारी	सामु स्वा केन्द्र रावतभाटा, चित्तौडगढ

राज्य राज्य सरकार की आई डी सख्या 689 दिनांक 06.03.2019 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 01/04/2019

क्रमांक राजपत्रित/एटी/प041/2019/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- 3 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-सबधित।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सबधित
- 6 सबधित चिकित्सको को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 7 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
- 8 निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।